संख्याः–3984/ III(2)/11–08(सामान्य)/2011

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियंन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्भाण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 14 दिसम्बर,2011

विषयः– जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत जयद्वार–तियाडा–फलपट्टी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के पत्र संख्या 1863/3(67)य०ता०–पर्व०/2010 दिनांक 2.12.2010 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत जयद्वार–तियाडा–फलपट्टी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य लम्बाई 12.00किमी0 हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए, इस हेतु प्रथम चरण के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये धनराशि ₹151.20 लाख की लागत के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त पाई गयी औचित्यपूर्ण लागत ₹151.20 लाख (₹ एक करोड इक्यावन लाख बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु ₹ 0.20 लाख (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/ II(2)/10–17 (सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) आगणन म उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही हो, तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जाय ।

(v) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

क्रमशः 2/--

प्रतिलिपि सम्भाग | बजट (DAO) / DGCT | महिमा

Photo Copy Attested
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
थत्यूड़ (टिहरी गढवाल)।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट मैनुअल के संगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(viii) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(ix) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0,भूमि अधिग्रहण,यूटीलिटी शिफ्टिंग आदि संबंधी मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–05 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00–24 वृहत निर्माण कार्य के विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निर्वतन पर रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

2– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–773/XXVII/(2)/2011 दि0: 13 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:–3984/II(2)/11–08(सामान्य)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आठवॉं वृत्त, लो0नि0वि0 टिहरी गढ़वाल।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन
10. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़ टिहरी गढ़वाल।
11. गार्ड बुक।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल)

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव।